रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 627] नई दिल्ली, वीरवार, दिसम्बर 8, 1988/अग्रहायण 17, 1910
No. 627] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1988/AGRAHAYANA 17, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1988

सा.का.नि. 1155(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 1988 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची 1 में क्रम सं. 2,3,5,6,15,18 और 20 और इससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां स्थापित की जाएं;

"	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट-कार्यालय कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य
	(ग) जन संपर्क अधिकारी, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट-कार्यालय कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य;
	(घ) अधीक्षक, कलकत्ता, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य

	(क) पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली)	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली)	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
	(ग) जन संपर्क अधिकारी, दिल्ली (पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली)	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
	(घ) अधीक्षक, दिल्ली (पासपोर्ट कार्यालय नई दिल्ली)।	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
5(क)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) (मद्रास)	तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी (जिसमें माहे जिला शामिल नहीं है)।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी मद्रास, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास)	तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (जिसमें माहे जिला शामिल नहीं है)।
	(ग) जन संपर्क अधिकारी मद्रास, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास)	तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (जिसमें माहे जिला शामिल नहीं है)।
	(घ) अधीक्षक मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास)।	तमिलनाडु राज्य और पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र (जिसमें माहे जिला शामिल नहीं है)।
6(1)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, (कोचीन)	केरल राज्य (जिसके कन्नानौर, कोजीकोडे, मालापुरम और पालघाट जिले शामिल नहीं है) और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	केरल राज्य (जिसकी कन्नानौर, कोजीकोडे, मालापुरम और पालघाट जिले शामिल नहीं है) और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
	(ग) जन संपर्क अधिकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	केरल राज्य (जिसमें कन्नानौर, कोजीकोडे, मालापुरम और पालघाट जिले शामिल नहीं है) और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
	(घ) अधीक्षक कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)।	केरल राज्य (जिसमें कन्नानौर, कोजीकोडे, मालापुरम और पालघाट जिले शामिल नहीं है) और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
15	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गुवाहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी)	अरुणाचल प्रदेश असम, मणिपुर मिजोरम मेघालय और नागालैंड
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी गुवाहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी)	अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय और नागालैंड
	(ग) जन संपर्क अधिकारी गुवाहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी)	अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय और नागालैंड
	(घ) अधीक्षक, गुवाहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी)।	अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय और नागालैंड
2	क) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर]	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	(ख) सचिव (पासपोर्ट) अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	[अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र]
	ग) उपायुक्त, अंडमान जिला पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
	(घ) उपायुक्त निकोबार जिला कार निकोबार	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	(ङ) सहायक सचिव (गृह) अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	क) निदेशक पासपोर्ट और वीजा विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	[राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट के संबंध में संपूर्ण भारत]
	ख) उपनिदेशक पासपोर्ट और वीजा विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	[राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट के संबंध में संपूर्ण भारत]

indiacode

(ग) अवर सचिव, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग, विदेश मंत्रालय।	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट के संबंध में समस्त भारत
(घ) अनुभाग अधिकारी, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।	राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट के संबंध में समस्त भारत

[संख्या 4/551/67/88]

आर० पी० धवन, उप सचिव (पी० वी०)

टिप्पणी :—सा का नि 691(अ) दिनांक 11 दिसम्बर 1980 के भाग II, खं० 3 के राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में प्रकाशित मुख्य नियम का संशोधन बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया

1 अधिसूचना संख्या सा का नि 50(अ) दिनांक 7-2-1981
2 अधिसूचना सं सा का नि 469(अ) दिनांक 04-6-1982
3 अधिसूचना सं सा का नि 325(अ) दिनांक 12-4-1983
4 अधिसूचना सं सा का नि 494(अ) दिनांक 16-6-1983
5 अधिसूचना सं सा का नि 345(अ) दिनांक 29-3-1985
6 अधिसूचना सं सा का नि 860(अ) दिनांक 01-11-1985
7 अधिसूचना सं सा का नि 857(अ) दिनांक 15-10-1987
8 अधिसूचना सं सा का नि 84(अ) दिनांक 11-2-1988

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1988

G.S.R. 1155(E) —In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the passports Rules, 1980 namely –

1. (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1980 for serial number 2, 3 5, 6, 15, 18 and 20 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely –

2	(a) Regional Passport Office, Calcutta, (Regional Passport Office, Calcutta)	The States of West Bengal, Tripura and Sikkim.
	(b) Assistant Passport Officer, Calcutta, (Regional Passport Office, Calcutta)	The States of West Bengal Tripura and Sikkim.
	(c) Public Relations Officer, Calcutta, (Regional Passport Office Calcutta)	The States of West Bengal, Tripura and Sikkim
	(d) Superintendent, Calcutta, (Regional Passport Office, Calcutta)	The States of West Bengal, Tripura and Sikkim.
3	(a) Passport Officer, Delhi, (Passport Office, New Delhi).	The Union Territory of Delhi
	(b) Assistant Passport, Officer, Delhi. (Passport Office, New Delhi).	The Union Territory of Delhi
	(c) Public Relations Officer, Delhi, (Passport Office, New Delhi)	The Union territory of Delhi
	(d) Superintendent, Delhi, (Passport Office. New Delhi)	The Union territory of Delhi
5	(a) Regional Passport Officer, Madras. (Regional Passport Office Madras).	The State of Tamil Nadu and Union territory of pondicherry (excluding the district of Mahe)
	(b) Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport Office, Madras)	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry (excluding the district of Mahe)
	(c) Public Relations Officer Madras, (Regional Passport Office, Madras)	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry (excluding the district of Mahe)
	(d) Superintendent, Madras, (Regional Passport Office Madras)	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry (excluding the district of Mahe).

6. (a) Regional Passport Officer, Cochin, (Regional Passport Office, Cochin).	The State of Kerala (excluding the districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat), and the Union territory of Lakshadweep).
(b) Assistant Passport Officer, Cochin, (Regional Passport Office, Cochin).	The State of Kerala (excluding the districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat), and the Union territory of Lakshadweep.
(c) Public Relations Officer, Cochin, (Regional Passport Office, Cochin).	The State of Kerala (excluding the districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat), and the Union territory of Lakshadweep.
(d) Superintendent, Cochin, (Regional Passport Office, Cochin).	The State of Kerala (excluding the districts of Cannanore, Kozhikode, Malapuram and Palghat), and the Union territory of Lakshadweep).
15. (a) Regional Passport Officer, Guwahati, (Regional Passport Office, Guwahati).	The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland.
(b) Assistant Passport Officer, Guwahati, (Regional Passport Office, Guwahati).	The States of Arunachal Pradesh Assam, Manipur Mizoram, Meghalaya, and Nagaland.
(c) Public Relations Officer, Guwahati, (Regional Passport Office, Guwahati).	The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland.
(d) Superintendent, Guwahati. (Regional Passport Office, Guwahati).	The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya and Nagaland.
18. (a) Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
(b) Secretary (Passports), Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
(c) Deputy Commissioner, Andaman District, Port Blair.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
(d) Deputy Commissioner, Andamans District, Port Blair.	Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
(e) Assistant Secretary (Home), Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
20. (a) Director Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports.
(b) Deputy Secretary Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports.
(c) Under Secretary Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports
(d) Section Officer, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in respect of diplomatic and official passports

[No. V. IV/551/67/88]

O.P. DHAWAN, Dy. Secy. (PV)

Note Principal rules published vide Notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980. Gazette of 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, sub-section(i), subsequently amended by:—

(1) Notification No. GSR 50(E) dated 7-2-1981
(2) Notification No. GSR 469(E) dated 2-6-1982.
(3) Notification No. GSR 325(E) dated 12-4-1983
(4) Notification No. GSR 494(E) dated 16-6-1983
(5) Notification No. GSR 345(E) dated 29-3-1985.
(6) Notification No. GSR 869(E) dated 01-11-1985.
(7) Notification No. GSR 857(E) dated 15-10-1987.
(8) Notification No. GSR 84(E) dated 11-2-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988